Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding mode of payment of wages to tea garden workers in West Bengal. -laid.

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की 267 चाय बागानों के लगभग 12 लाख आदिवासी, एसटी, एससी एवं ओबीसी गरीब चाय मजदूरों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. वर्ष 2019 और 2020 मे चाय बगान मालिक द्वारा करोड़ से अधिक नकद राशि बैंक से निकालने पर 2% दर के रूप में टीडीएस के रूप में काटा जा रहा है. इसलिये चाय मालिक चाय श्रमिकों को मजदूरी बैंक के माध्यम से देना चाहता है. यदि ऐसा हुआ तो चाय श्रमिकों को काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है.

चाय बागानों से बैंक की दूरी काफी है. खासकर मेरे लोकसभा क्षेत्र के चाय बागान से बैंक पोस्ट ऑफिस एक या दो चाय बागानों को छोड़कर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है. वहा बैंक के कामकाज करने के लिए दिन भर का समय चाय श्रमिकों को निकालना पड़ता है जबकि चाय श्रमिक यदि चाय बागान में काम नहीं करते तो उनकी मजदूरी काट दी जाती है । अभी भी वहां के श्रमिक इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वह बैंक में जाकर बैंक का काम काज खुद कर सके. इससे श्रमिकों को काफी समस्या हो रही है. ऑनलाइन वेजेस पेमेंट को लेकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है । हमारे चाय श्रमिक चाय बागानों में कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं चाय श्रमिकों को उनकी मजदूरी अभी तक नगद में दी जा रही है . अब चाय मालिक श्रमिकों को उनकी मजदूरी बैंक के माध्यम से देना चाहते हैं. यह चाय मालिकों का 2% टीडीएस बचाने का एक प्रयास है. वर्तमान दुआर्स में रेडबैंक , धनीपुर, मधु, ढेकलापाडा जैसे अन्य कई चाय बागान बंद पड़ी हुई है. यदि यह नियम चाय बागानों में लागू करना है तो पहले चाय श्रमिकों को बैंक के कामकाज के साथ साथ डिजिटल शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाए. जब तक चाय श्रमिकों को डिजिटल शिक्षा नहीं दी जाती तब तक

चाय बागानों को इससे छूट दी जाए. मुझे डर है 2% टीडीएस बचाने के प्रयास से चाय बागान में काफी समस्या उत्पन्न हो सकते हैं. जिससे चाय बागान बंद होने की भी काफी संभावनाएं है. जिस से चाय बागान में अस्थिरता पैदा हो सकती है यदि ऐसा होता है तो गरीब चाय श्रमिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ।